कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

(सामान्य निर्वाचन)

क्रमांक/सा.निर्वा./निर्वा.विधानसभा/2018/955 शिवपुरी, दिनांक 10 /08/2018

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनायल
म.प्र. भोपाल

<u>विधानसभा निर्वाचन</u>
<u>तत्काल</u>

विषय :- विधानसभा आम चुनाव 2018 की महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लघंन) की वीडियोग्राफी करने के लिए की निविदा सूचना जारी करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए वीडियोग्राफी कराई जानी है। जिसके लिये डिजीटल कैमरों की आवश्यकता होगी कि निविदा जारी की जानी है। जो दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी

पृ.क्रमांक/सा.निर्वा./निर्वा.विधानसभा/2018/955 शिवपुरी, दिनांक 10 /08/2018

प्रतिलिपि -

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
(वीडियोग्राफी हेतु निविदा)

क्रमांक/सा.नि./वि.आम.चु./वीडियोग्राफी/2018-19/ 955 शिवपुरी, दिनांक 10/08/18

निविदा सूचना

विधानसभा आम चुनाव 2018 की महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लघंन) की वीडियोग्राफी करने के लिए वीडियोग्राफरों से वीडियो कैमरा/डिजीटल कैमरा प्रति नग प्रति दर से सीलबंद निविदाऐं दिनांक 04.09.2018 समय **03:00** तक आंमत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र दिनांक 04.09.2018 तक रूपये 250.00 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाका को धरोहर राशि रूपये 25000.00 (पच्चीस हजार रूपये) राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट/ एफ.डी.आर जमा करना होगा। निविदा शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक 04.09.2018 तक प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त निविदाऐं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक **05.09.2018** समय **04:00** बजे खोली जावेंगी।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/सा.नि./वि.आम.चु./वीडियोग्राफी/2018-19/ 955 शिवपुरी, दिनांक 10/08/18

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र भोपाल की ओर विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र /पत्रों में (2) सशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर...............................समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी कोलारस/करैरा/पिछोर/पोहरी/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. तहसीलदार कोलारस/बदरवास/करैरा/नरवर/पिछोर/खनियाधाना/पोहरी/बैराड/शिवपुरी की ओर बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
8. जिला निर्वाचन कार्यालय में बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/सा.नि./वीडियोग्राफी/2018-19/ 955 शिवपुरी, दिनांक 10/08/18

विधानसभा क्षेत्र आम चुनाव 2018-19 के दौरान चुनाव प्रसार एवं मतदान के समय की संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी के लिए निजी वीडियोग्राफी से निम्न शर्तों के अधीन मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में दिनांक 04.09.2018 को **03:00** बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा दिनांक 05.09.2018 **समय 04:00** बजे खोली जावेगी।
2. जिस निविदाकार की दर न्यूनतम होगी उसे स्वीकार किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में प्रस्तुत की जाना चाहिए और निविदा दाता द्वारा उसे हस्ताक्षरित होना चाहिए। निविदा बंद लिफाफे (जिस पर वीडियोग्राफी के लिए निविदा अंकित हो) में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रू. 25000.00 (पच्चीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पक्ष में संलग्न करें।
5. प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जावेगें। जिन निविदा दाताओं की अमानत राशि जमा नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत की जावेगी तथा जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसकी अमानत राशि कार्य समाप्त होने पर तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त राशि वापिस की दी जावेगी?
6. सफल निविदाकार को रिकार्ड के बाद वीडियों सीडी/डीव्हीडी/हार्ड डिस्क जिला निर्वाचन अधिकारी को वापिस करनी होगी तथा सीडी/डीव्हीडी/हार्ड डिस्क के पूर्ण उपयोग के बाद जमा करनी होगी। सीडी/डीव्हीडी/हार्ड डिस्क निविदाकार को स्वयं की अच्छी किस्म की उपयोग करनी होगी।
7. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों का निम्न अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक है :-
   (1) वीडियाग्राफी के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
   (2) निविदाकार को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकारों को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
   (3) निविदाकार अपनी **<u>ड्यूटी के दौरान</u>** अनुपस्थित नहीं रहेगा।
   (4) सफल निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियत्रंण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
   (5) निविदाकार का कार्यक्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट- एक तथा दो के अनुसार होगी।
   (6) निविदादाता वीडियों सीडी/डीव्हीडी/हार्ड डिस्क पूर्ण होने तक इसकी सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगा तथा पूर्ण होने पर निविदाकार तत्काल उस सीडी/डीव्हीडी/हार्ड डिस्क को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौपेगा।
   (7) प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।
   (8) निविदाकार प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिस दिन की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी निविदाकार को उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कैसरामैन की उपस्थिति प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित कराके देने का सफल निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
   (9) निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी की कार्य निर्विघ्न रूप से निरंतर चलता रहे किसी भी तरह बिलंव अथवा रूकावट के लिए उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।